

प्रेस- विज्ञप्ति
थाना सिधारी

43.5 किलो ग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 05 लाख रूपये) के साथ 03 गांजा तस्कर गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण-

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा चलाये जा रहे अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी के अभियान के क्रम में दिनांक- 14.07.24 को प्रभारी निरीक्षक सिधारी मय हमराह को सूचना मिली कि ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन मुसेपुर क्रासिंग के पास से कुछ गांजा तस्कर अवैध गांजे के साथ कही जा रहे है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी सिधारी मय हमराह द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर तीनों गांजा तस्करों 1.अजय पुत्र अकालू सा0 बेकीगांव थाना उडालगुड़ी जनपद उडालगुड़ी प्रान्त असम उम्र करीब 22 वर्ष, 2.कृष्णा यादव पुत्र चन्द्रिका यादव सा0 बेलाव बाजार थाना महुआडीह जनपद देवरिया उम्र करीब 22 वर्ष, 3.कनिका पुत्री सुकुन्द वरमन सा0 छपकटी थाना उडालगुड़ी जनपद उडालगुड़ी प्रान्त असम उम्र करीब 35 वर्ष को 43.7 किलो ग्राम अवैध नाजायज गांजा के साथ समय 21.55 बजे गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी व बरादगी के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 0258/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हमलोग आसाम प्रदेश अवैध गांजा लेकर जनपद आजमगढ़ व आस-पास के जनपदों में गांजा तस्करी करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.अजय पुत्र अकालू सा0 बेकीगांव थाना उडालगुड़ी जनपद उडालगुड़ी प्रान्त असम उम्र करीब 22 वर्ष
- 2.कृष्णा यादव पुत्र चन्द्रिका यादव सा0 बेलाव बाजार थाना महुआडीह जनपद देवरिया उम्र करीब 22 वर्ष
- 3.कनिका पुत्री सुकुन्द वरमन सा0 छपकटी थाना उडालगुड़ी जनपद उडालगुड़ी प्रान्त असम उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी

1. 43.7 किग्रा0 अवैध गांजा
2. तीन अदद मोबाईल (दो अदद एण्ड्राइड व एक अदद कीपैड) एवं 1530 रूपये नगद

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 0258/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 0258/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1.प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र बहादुर सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. व.उ.नि. भगत सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. उ.नि. सौरभ कुमार सिंह चौकी प्रभारी मुसेपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
- 4.का. शैलेन्द्र कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
5. का. रोशन कुमार भारती थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
6. का. संजय कुमार सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
- 7.उ.नि. श्रीप्रकाश शुक्ला प्रभारी स्वाट टीम द्वितीय
- 8.हे.का. अभिमीत तिवारी स्वाट टीम
- 9.हे.का. विनोद सरोज स्वाट टीम
- 10.हे.का. अवधेश यादव हे.का. सत्येन्द्र यादव .का. संजय सिंह स्वाट टीम
- 11.का. मुकेश यादव धर्मेन्द्र कुमार स्वाट टीम
12. महिला कास्टेबल साधना थाना सिधारी आजमगढ़ ।

थाना सिधारी

दहेज हत्या में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना.. दिनांक 9.7.24 को श्री रामू चौहान पुत्र स्व० बृजेश चौहान निवासी ग्राम व पोस्ट रगंडीह आजमगढ़ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 8858929951 बहमराह रोहित पुत्र बहादुर के उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र हिन्दी बाबत प्रतिवादी गण द्वारा खुद की बहन कविता चौहान उम्र 28 वर्ष व देवांश उम्र करीब 03 वर्ष को विषाक्त पदार्थ देकर जान से मार देने के सम्बन्ध में दाखिला किये। दाखिला तहरीर के आधार पर कायमी मु०अ०सं० 253/24 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट दिनांक घटना 08/09.07.24 समय अ०त० घटना स्थल जाफरपुर 3.5 कि०मी० पश्चिम बमुदैयत रामू चौहान उपरोक्त बनाम (1) पंचदेव चौहान पुत्र बालचन्द्र चौहान (पति) (2) सम्भा चौहान पुत्री बालचन्द्र चौहान (ननद) (3) सरिता चौहान पुत्री बालचन्द्र चौहान (ननद) (4) जलेबी पत्नी स्व० बालचन्द्र चौहान (सास) (5) विरबल चौहान पुत्र अज्ञात (दमाद) (6) शैलेश चौहान पुत्र अज्ञात (दमाद) सर्व निवासीगढ़ जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर महोदय द्वारा की जा रही थी जिसमें अभियुक्तगण वांछित चल रह है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 15.7.24 को प्रभारी निरी० योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्ता सरिता चौहान पुत्री बालचन्द्र चौहान निवासी जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ हाल मुकाम पत्नी शैलेश चौहान सा० छतवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर छतवारा चौराहे से समय 09.50 बजे गिरफ्तार कर मा० न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 253/24 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

नाम पता अभियुक्ता

सरिता चौहान पुत्री बालचन्द्र चौहान निवासी जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ़ हाल मुकाम पत्नी शैलेश चौहान सा० छतवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्र.नि. योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

थाना - देवगांव

अवैध असलहा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- 15.07.2024 को 30नि० सुरेश सिंह मय हमराह के गड़ौली, भुड़की की तरफ जाने वाली पक्की सड़क तिराहे पर आने जाने वाले वाहनो व व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को अवैध असलहा व कारतूस के साथ पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम नवी सरवर उर्फ नाटे पुत्र सोहराब निवासी कस्बा देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष बताया तथा बताया कि आप लोगों को देखकर पकड़े जाने के डर से गाड़ी मुड़ाकर भागना चाह रहा था। पकड़े गये व्यक्ति दीपक तिवारी का नियमानुसार जामा तलाशी ली गई तो 01 आदद तमन्चा 315 बोर तथा 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति को अपराध का बोध कराते हुए समय 01.55 बजे हिरासत पुलिस व बरामद तमन्चा व कारतूस कब्जा पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु०अ०सं० 273/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण- 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

क्र.स.	मु.अ.स.	धारा	थाना	जनपद
1	81/2016	3/5A/8 गोहत्या निवा० अधि०	देवगाँव	आजमगढ़
2	343/2017	3/5A/8 गोहत्या निवा० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि०	देवगाँव	आजमगढ़
3	43/2021	10 गुण्डा गद्दी अधि०	देवगाँव	आजमगढ़
4	209/2021	3/5/8 गोहत्या निवा० अधि०	देवगाँव	आजमगढ़
5	61/2022	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	देवगाँव	आजमगढ़
6	138/2021	380,411 भादवि	मेहनाजपुर	आजमगढ़
7	140/2021	3/5/8 गोहत्या निवा० अधि०	मेहनाजपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:- नवी सरवर उर्फ नाटे पुत्र सोहराब निवासी कस्बा देवगाँव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. 30नि० सुरेश सिंह मय हमराह थाना देवगाँव आजमगढ़

थाना - अहरौला

मोबाइल चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार मोबाइल बरामद

घटना का पूर्व का विवरण- दिनांक 14/07/2024 को वादी मुकदमा चन्दन निषाद पुत्र मुन्दर निषाद ग्रा0 शम्भूपुर(पूरा) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर बावत आवेदक कोचिंग से आते समय अपना बैग सम्भूपुर(पूरा) की पुलिया पर रखा था। जिसमे मोबाईल नम्बर 9519171208 रेडमी 10 A मोबाईल रखी थी एक अज्ञात व्यक्ति वहा पुलिया पर आकर रूका बातों मे फसाकर आवेदक के मोबाईल चुरा ले जाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 0334/24 धारा 379 भादवि वनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 15.07.2024 मैं उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सचिन निषाद पुत्र भुखन निषाद निवासी खलीफतपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को मंगारीपुर पुलिया के पास से समय 10.35 बजे गिरफ्तार किया गया तथा चोरी की मोबाइल बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

सचिन निषाद पुत्र भुखन निषाद निवासी खलीफतपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

बरामदगी- एक अदद मोबाईल रेडमी 10(A) साईबर ब्लैक कलर का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विश्राम गुप्ता, हे0का0 राजेश कुमार यादव व सतीश कुमार गौड़ थाना अहरौला आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

मो0सा0 चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार , चोरी की 05 मोटर साइकिल व 2 तमन्चा 315 बोर, 4 जिन्दा कारतूस बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास – वादी रूपलाल चन्द यादव पुत्र दशराज यादव नि0 हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दि. 15.10.20 को बनकट बाजार से मेरी मोटर साइकिल नं0 यूपी50एफ9831 चोरी हो गया जिस सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर आजमगढ़ मे मु0अ0सं0 223/20 धारा 379 भादवि दि. 21.10.20 को पंजीकृत किया गया।

वादी मुकदमा मुकेश चौहान पुत्र रामउग्रह चौहान नि. हरखपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दि. 24.8.23 को बिलरियागंज चौक से मेरी मोटर साइकिल एचएफ डिलक्स नं0 यूपी50बीसी7302 चोरी हो गयी जिस सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 307/23 धारा 379 भादवि दि. 26.8.23 को पंजीकृत किया गया।

वादी मुकदमा सरयू कुमार पुत्र दूधनाथ ग्राम मतलूबपुर थाना अहरौला आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दि. 19.6.24 को मेरी मोटर साइकिल नं0 यूपी65डीएक्स1675 ब्रह्मस्थान पुलिस चौकी से चोरी हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 368/24 धारा 379 भादवि दि. 20.6.24 को पंजीकृत किया गया।

गठित टीम उ0नि0 विपिन कुमार सिंह, उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, प्र0उ0नि0 विनय सहाय, हे0कां0 अजीत कुमार सिंह, हे0कां0 पंकज कुमार सिंह, हे0कां0 सतीश यादव, कां0 विवेक शर्मा, कां0 पंकज कुमार सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण उ0नि0 विपिन कुमार सिंह, उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, प्र0उ0नि0 विनय सहाय, हे0कां0 अजीत कुमार सिंह, हे0कां0 पंकज कुमार सिंह, हे0कां0 सतीश यादव, कां0 विवेक शर्मा, कां0 पंकज कुमार सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 15.7.24 को समय 00.30 बजे ककरहटा अन्डर पास पुलिया के पास से अभियुक्तगण 1. रोशन यादव पुत्र सत्यराम उर्फ सतई यादव सा- टकटेउवा रामपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 18 वर्ष, 2. विन्देश यादव पुत्र शिवदास यादव सा0 टकटेउवा रामपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा 05 अदद चोरी की मोटर साइकिल, 02 अदद तमन्चा 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रोशन यादव पुत्र सत्यराम उर्फ सतई यादव सा- टकटेउवा रामपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 18 वर्ष,
2. विन्देश यादव पुत्र शिवदास यादव सा0 टकटेउवा रामपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- 1.वाहन संख्या यूपी50डब्लू 6756 चे0न0 MBLHA10EZBHA41995
2. चे0न0 MBLJA05EMD9M01918 सुपर स्पलेन्डर
3. यूपी62आर3868 ग्लैमर
4. एचएफ डिलक्स यूपी50बीसी7302
5. यूपी5एवाई 5277 स्पलेन्डर
6. 02 अदद तमन्चा 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस बरामद

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 410/24 धारा 317(2)(4)(5),318(8),336(3),340(2),61(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

रोशन यादव पुत्र सत्यराम उर्फ सतई यादव सा- टकटेउवा रामपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 18 वर्ष

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	368/24	379 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
2	307/23	379 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
3	223/20	379 भादवि	मुबारकपुर	आजमगढ़
4	410/24	317(2)(4)(5), 318(4), 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधि.	कोतवाली	आजमगढ़

विन्देश यादव पुत्र शिवदास यादव सा० टकटेउवा रामपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	368/24	379 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
2	307/23	379 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
3	223/20	379 भादवि	मुबारकपुर	आजमगढ़
4	410/24	317(2)(4)(5), 318(4), 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधि.	कोतवाली	आजमगढ़
5	21/24	3/25 शस्त्र अधि.	जीयनपुर	आजमगढ़
6	22/24	411/414/420 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
7	280/24	34, 323, 452, 504, 506, 427 भादवि	घोसी	मऊ
8	1007/20	3/25 शस्त्र अधि.	घोसी	मऊ
9	533/22	452, 323, 504, 506 भादवि	घोसी	मऊ
10	468/23	392/411/414/467/468/471 भादवि	घोसी	मऊ

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

उ०नि० विपिन कुमार सिंह, उ०नि० राज नारायण पाण्डेय, प्र०उ०नि० विनय सहाय, हे०कां० अजीत कुमार सिंह, हे०कां० पंकज कुमार सिंह, हे०कां० सतीश यादव, कां० विवेक शर्मा, कां० पंकज कुमार सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना ए०एच०टी० जनपद आजमगढ़ ।

05 वर्ष से भी अधिक समय से लापता अपहृता खुशबू चौहान मध्यप्रदेश से बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक- 09.04.2019 को वादी मुकदमा द्वारा थाना देवगांव पर शिकायत किया गया कि वादी की पुत्री उम्र 20 वर्ष दिनांक 24.03.2019 से घर पर बिना किसी से बताए कहीं चली गयी है जिसके आधार पर थाना देवगांव पर मु०अ०सं०- 82/2019 धारा- 366 भादवि विरुद्ध अभियुक्त फरहान के पंजीकृत कर विवेचना थाना देवगांव से सम्पादित की जा रही थी ।

➔ दौरान विवेचना धारा 368 भादवि की बढ़ोत्तरी थाना देवगांव द्वारा की गयी । परन्तु अपहृता की बरामदगी न हो सकी । तत्पश्चात् श्रीमान् पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना थाना ए०एच०टी० को सुपुर्द की गयी । दौरान विवेचना थाना ए०एच०टी० द्वारा धारा 120बी भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी ।

बरामदगी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद आजमगढ़ श्री हेमराज मीना के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात/नोडल अधिकारी थाना एएचटी के मार्गदर्शन में व प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा थाना एएचटी के कुशल नेतृत्व में उ०नि० राकेश तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता/पीड़िता खुशबू चौहान पुत्री स्व० रामबचन चौहान नि० बघरावां/ मोलनापुर थाना देवगांव आजमगढ़ को ग्राम गढ़ी धमकन थाना जौरा जनपद मुँरैना प्रान्त मध्यप्रदेश जाकर उसके तथाकथित पति सोनू शाक्य पुत्र उत्तम शाक्य पता उपरोक्त के साथ बरामद किया गया । मुकदमा पंजीकृत होने के समय दोनों बालिग थे ।

बरामद पीड़िता/अपहृता- खुशबू चौहान पुत्री स्व० रामबचन चौहान नि० बघरावां/ मोलनापुर थाना देवगांव आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष साथ में 01 वर्ष की पुत्री वर्तिका व तथाकथित पति सोनू शाक्य पुत्र उत्तम शाक्य नि० ग्राम गढ़ी धमकन थाना जौरा जनपद मुँरैना प्रान्त मध्यप्रदेश।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०- 82/2019 धारा 366/368/120बी भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

बरामद करने वाली पुलिस टीम- उ०नि० राकेश तिवारी, का० आशीष प्रताप सिंह, म०का० चमन खातून थाना ए०एच०टी० जनपद आजमगढ़, ओपी दिनेश कुमार यादव सर्विलांस सेल आजमगढ़ ।